(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की राज्य सरकारों की अपनी-अपनी राज्य क्षेत्र योजनाएं हैं । फिर भी कल्याण मंत्रालय की अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की दरें नीचे दी गई हैं :—

| कक्षा | संवासी छात्रों के लिए प्रति माह छात्र-वृत्ति दरें | कक्षा | दिवा छात्रों के लिए प्रति माह छात्र-वृत्ति दरें |
|---|---|---|---|
| III-VIII . . . | 200 रुपये | I-V . . . | 25 रुपए |
| IX-X . . . . | 250 रुपये | VI-VIII . . . | 40 रुपए |
| | | IX-X . . . | 50 रुपए |

योजना के अंतर्गत सभी छात्रों को अर्थात् संवासी तथा दिवा छात्र दोनों को 500 रुपए प्रति वर्ष का तदर्थ अनुदान भी ग्राह्य है ।

(ख) तथा (ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत निर्वाह भत्ते की दरों को जिनकी तुलना अन्य योजनाओं से नहीं की जाती है, समय-समय संशोधित किया गया है । तथा अन्तिम बार तारीख 1-7-1989 को संशोधित किया गया था । निर्वाह भत्ते की दरों में आगे संशोधन योजना आयोग के साथ उनके अनुमोदन के लिए पहले ही उठाया गया है ।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने की योजना**

2968. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना 1993-94 से लागू की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति, जिसकी आबादी लगभग एक करोड़ है, तथा अनुसूचित जनजाति जिसकी आबादी लगभग डेढ़ करोड़ है, को देखते हुए सरकार द्वारा प्रदेश में केवल तीन व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना पर्याप्त है; और

(ग) क्या सरकार ऐसे व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी युवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने की एक योजना है । वर्ष 1992-93 से प्रारम्भ की गई है । अनुसूचित जाति युवा के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रो को खोलने की इस प्रकार की कोई योजना नही है । फिर भी, अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की मौजूदा योजना के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण केन्द्रों का उद्देश्य अनुसूचित जाति युवाओं को प्रशिक्षण के पश्चात् रोजगार प्राप्त करने में सहायता देना या अपने स्वयं का कारोबार प्रारम्भ करना है और ये केन्द्र विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सरकार की वित्तीय सहायता से चलाए जा रहे हैं ।

(ख) वर्ष 1993-94 के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आदिवासी क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना के वास्ते केवल 1.90 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था । इसलिए सीमित बजट होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार को 6 केन्द्रों की मांग के लिए तीन व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किए गए थें ।

सरकार की वित्तीय सहायता से मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति युवाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 9 प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं ।

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों की संख्या तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा ।

**Welfare Schemes for Children of Women Prisoners**

2969. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have prepared any welfare scheme for the children born to women prisoners and women languishing in mental hospitals in the country; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) No, Sir. The subject 'prisons' being a State subject is administered by the State Government under their own Rules, Regulations and prison manuals.

**झूठे जाति प्रमाण पत्र के लिए पैनल द्वारा गुजरात पर अभ्यारोपण**

2970. **श्रीमती सुषमा स्वराज :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 दिसम्बर, 1994 को दैनिक टेलीग्राफ में प्रकाशित "पैनल इंडिक्ट्स गुजरात फॉर फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट्स" शीर्षक के समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुजरात राज्य में बड़ी संख्या में झूठे अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र जारी किये है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) जी, हां । तथापि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार इसने गुजरात सरकार को झूठे जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने को रोकने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए केवल सचेत किया है ।

(ख) और (ग) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के प्राधिकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास निहित नहीं है और इसलिए आयोग द्वारा किसी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी करने का प्रश्न नही उठता।

**महिलाओं के लिए संपत्ति अधिकार**

2971. **श्री सुशील कुमार सम्भाजीराव शिन्दे :**
**श्रीमती वीणा वर्मा :**

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किये गये उपायों की तरह महिलाओं को पर्याप्त संपत्ति अधिकार देने सहित अन्य अधिकार देने और नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के संबंध मे व्यापक उपाय शुरू करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं को पर्याप्त संपत्ति अधिकार तथा नौकरियों में आरक्षण सहित शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए किए गए व्यापक उपाय के ब्यौरे प्राप्त करके उसकी जांच की जाएगी तथा उसके बाद सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा ।

**गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग**

2972. **श्री आस मोहम्मद :**
**चौधरी हरमोहन सिंह :**

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1994 की तारीख को अनुसूचित जाति के कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं ;

(ख) सरकार द्वारा इन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) 1991 की जनगणना गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अनुमानित आंकड़ नही प्रदान करती है । फिर भी, नवीनतम उपलब्ध सूचना वर्ष 1987-88 से संबंधित है, और जिसके अनुसार यह अनुमान है कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित 41.47% अनुमानित जनसंख्या उस वर्ष में गरीबी की रेखा से नीचे थी ।

(ख) तथा (ग) अनुसूचित जाति की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए समाज के इस वंचित वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक नई नीति छठी योजना से शामिल की गई है जिसे निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है :—

(1) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना;

(2) विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता;

(3) राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगमों की स्थापना;

(4) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम;

(5) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां (केन्द्रीय प्रायोजित);

(6) अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति ;

(7) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित) ;

(8) पुस्तक बैंक (केन्द्रीय प्रायोजित);

(9) लड़कियों के लिए होस्टल (केन्द्रीय प्रायोजित);

(10) लड़कों के लिए होस्टल (केन्द्रीय प्रायोजित);

(11) कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) (केन्द्रीय प्रायोजित);